Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated :** 13-4-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.000 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Gauchar, Uttarakhand for construction of new motor road "Kanchula-Gain" in Chamoli district falls within jurisdiction of Kanchula senz kata village (s) in Karanprayag tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s)' "Kanchula senz kata , Gain" sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….
(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी
Signature चमोली
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 13.04.2015 at time 14:00 Hrs. at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measure 5.260 hect for the construction of construction of new motor road "Kanchula-Gain" (Praposed Lenth Km 7.200) and forest land 4.000 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 13.04.2015

जिलाधिकारी
चमोली
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

7

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला-मैरवुरा मोटर मार्ग से कांचुला गैन मो॰मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.680है॰ वन पंचायत, 2.100है॰ आरक्षित वन भूमि तथा मक प्रिस्योजल हेतु 0.220है॰ कुल 4.000है वन भूमि का लो॰नि॰वि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम डौठला/गैनोली

तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत सोनला-मैरवुरा मो॰मार्ग से कांचुला गैन मोटर मार्ग, परियोजना के निर्माण हेतु (2.100 हे0 आरक्षित वन भूमि, –X– हे0 सिविल सोयम भूमि 1.680हे0, तथा मकप्रिस्योजल हेतु 0.220है॰ वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 4.000हे0 वन भूमि का लो॰नि॰वि॰ गौचर —विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डौठला/गैनोली द्वारा दिनांक 10.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत डौठला/गैनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो॰नि॰वि॰गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

[Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत ... कर्णप्रयाग (चमोली); signature अनीता देवी, दिनांक 10.3.15]

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला-गौन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.600 हे. वन पंचायत, 2.100 हे. आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.220 हे. कुल 4.000 हे. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~कर्णप्रयाग~~

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~कर्णप्रयाग~~

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मो. मार्ग से कांचुला गौन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (2.100 हे0 आरक्षित वन भूमि, ~~×~~ हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.600 हे0 तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.220 हे. अर्थात कुल 4.000 हे0 वन भूमि) का ~~वन पंचायत~~ भूमि, लो.नि.वि. गौचर ——प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 25-3-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विवेक प्रकाश ——उपजिलाधिकारी —————— [signature] ——अध्यक्ष
2– श्री सुरेन्द्र लाल ——उप प्रभागीय वनाधिकारी—————— [signature] ——सदस्य
3– श्री मोहन सिंह ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी—— [signature] ——सदस्य / सचिव
4– श्री ——————बी0डी0सी0 क्षेत्र श्रीमती सुशीला रावत ——सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

[stamp: क्षेत्र पंचायत सदस्य ... वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)]

राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला गौन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.600 हे. वन पंचायत तथा ~~परियोजना हेतु...........हे0 वन~~ 2.100 हे. आरक्षित एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.220 हे. कुल 4.000 हे. वन भूमि का लो.नि.वि. गौचर को हस्तान्तरण।

—————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

महिपाल सिंह नेगी - सदस्य क्षेत्र पंचायत - कनखोली [signature]
मालचन्द पुरोहित - सदस्य क्षेत्र पंचायत - थिरपाक [signature]

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चमोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोनला-भैरखुरा मोटर मार्ग से कांचुला ग्रेन से० मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.0006 हे0 वन भूमि लो०नि०वि० गोचर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10.3.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गनोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गौरसिंह पुण्डिर	गौरसिंह
2	,, रघुनाथसिंह पुण्डिर	रघुनाथसिंह
3	,, महावीरसिंह ,,	[illegible]
4	,, पुष्करसिंह ,,	पुष्करसिंह
5	,, अवतारसिंह ,, (पूर्व प्रधान) गनोली	अवतारसिंह
6	,, गोविन्द सिंह ,,	Govind singh
7	श्रीमती गुड्डी देवी ,, (पूर्व प्रधान) गनोली	गुड्डी देवी
8	श्री दानसिंह ,,	दानसिंह
9	,, मकरसिंह ,,	मकरसिंह
10	,, अब्बलसिंह ,, (पूर्व प्रधान) गनोली	अब्बलसिंह
11	,, सुरवारसिंह ,,	सुरवारसिंह
12	श्रीमती कुन्तीदेवी (पूर्व प्रधान) गनोली	कुन्ती देवी
13	,, देवेश्वरी देवी I	देवेश्वरी देवी
14	,, सीता देवी ,, उपप्रधान गनोली	सीता देवी
15	श्री बलवन्तसिंह रावत	बलवन्तसिंह
16	,, गजपालसिंह ,,	[illegible]
17	,, जसपालसिंह पुण्डिर	जसपालसिंह
18	,, रमेशसिंह ,,	[illegible]
19	श्रीमती कुसुम देवी ,,	कुसुम देवी
20	,, देवेश्वरी देवी II (वार्ड सदस्य) वार्ड 3	देवेश्वरी देवी
21	,, फागुणी देवी	फागुनी देवी
22	श्री. गबरसिंह कठैत	गबरसिंह
23	,, कल्याणसिंह कठैत	कल्याणसिंह
24	,, विनोद पुण्डिर	विनोद
25	,, चन्दनसिंह कठैत	चन्दनसिंह

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गनोली
हस्ताक्षर गुड्डी देवी
दिनांक 10.3.15
वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम का नाम-गैरसैण-काचुला।
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में **राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम काचुला ग्राम द्वारा दिनांक 9-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **काचुला** के ग्रामवासियों को 0·64 हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव उप0एम0 नेगवाल
ग्रा0पं0वि0अ0

प्रधान ग्राम पंचायत ... हस्ताक्षर मधु देवी दिनांक ... विकास खण्ड कर्णप्रयाग (चमोली)
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 08.5.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मसेलकला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रघुनाथ सिंह	रघुनाथ सिंह
2	अवतार सिंह	अवतार सिंह
3	मुकुन्द सिंह	मुकुन्द सिंह
4	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
5	भूपाल सिंह	भूपाल सिंह
6	महावीर सिंह	महावीर सिंह
7	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
8	दान सिंह	दान सिंह
9	सिसुपाल सिंह	जगत सिंह / सिसुपाल
10	दर्शन सिंह	दर्शन सिंह
11	जगत सिंह	[illegible] सिंह
12	रणजीत सिंह	जयवीर
12	जयवीर सिंह	जयवीर सिंह
13	अब्बल सिंह	[illegible]
14	बसन्त सिंह	[illegible]
15	भगत सिंह	[illegible]
16	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
17	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]

हस्ताक्षर मधु देवी

दिनांक

ह0/–

ग्राम प्रधान

(चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम – कॉंचुला

तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम** डांठला द्वारा दिनांक 8.5.017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **काचुला** के ग्रामवासियों को 0.84 **हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता** एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग0एम0 नगवाल
ग्रा0पं0वि0अ0

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत डांठला
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 08.5.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम ~~पंचायत~~ – डोंगला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हलाद सिंह	हलाद सिंह
2	पदम सिंह	पदम सिंह
3	दलबीर सिंह	[illegible]
4	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
5	बाला सिंह	बाला सिंह
6	चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
7	उमेद सिंह	उमेद सिंह
8	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
9	रूप सिंह	रूप सिंह
10	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
11	मोहन सिंह	मोहन सिंह
12	मंगल सिंह	मंगल सिंह
13	अब्बल सिंह	अब्बल सिंह
14	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
15	बिनोद सिंह	बिनोद सिंह
16	दलबीर सिंह	दलबीर
17	भगवान सिंह	भगवान सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत डोंगला
दिनांक
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम – कैराठ
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम कैराठ द्वारा दिनांक 8-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को 0.86 हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्रा0एम0 जगवाल
ग्रा0पं0वि0अ0

प्रधान ग्राम पंचायत ...
हस्ताक्षर मधु देवी
ह0/–
ग्राम प्रधान
वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 06-5-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम ~~पंचायत~~ – बैराठ

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री कल्याण सिंह कठैत	कल्याण सिंह
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह कठैत	[illegible]
3.	श्री गबर सिंह कठैत	गबर सिंह
4.	श्री चन्दन सिंह कठैत	चन्दन सिंह
5.	श्री यशवीर सिंह कठैत	Yasvir
6.	श्री अब्बल सिंह कठैत	अब्बल सिंह
7.	श्री विक्रम सिंह कठैत	विक्रम सिंह
8.	श्री महावीर सिंह कठैत	
9.	श्री केनवीर सिंह कठैत	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
हस्ताक्षर मधुदेवी
दिनांक .....
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान